



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012024-251133
CG-DL-E-05012024-251133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 44]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 49(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा (2) के खंड (घख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अधिनियम के धारा 20ग और 20घ के उद्देश्यों के लिए भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सां.आ. संख्या 728(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

1. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 18 के पश्चात, निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाती है, नामतः-

1	2	3
“18 क	निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग, मिजोरम सरकार, आईजोल	मिजोरम राज्य”

2. उपर्युक्त आशोधन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 2-50/एनएमए/2023/आईजोल]

प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण एवं
महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नोट: मूल अधिसूचना सा.आ. संख्या 728(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (ii), खंड 3, उपखंड (ii) में जारी की गई थी और यह 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी, और इसे बाद में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा अधिसूचित किया गया था:-

- (i) सा.आ. 2134(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2015
- (ii) सा.आ. 2810(अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2015
- (iii) सा.आ. 3627(अ) दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 और
- (iv) सा.का.नि. 768(अ) दिनांक 16 दिसंबर, 2020

**MINISTRY OF CULTURE
(NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 49(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of section 2 the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) S.O. 728 (E) dated 25th February, 2014 published in the Gazette of India on 10th March, 2014, hereby specifies the officer mentioned in column (2) of the Table given below, as the competent authority for the purposes of Sections 20C and 20D of the said Act, within the jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table,

1. In the said notification, after S. No. 18, the following S. No. shall be inserted, namely:-

1	2	3
“18A.	Director, Art and Culture Department, Government of Mizoram, Aizawl	State of Mizoram”

2. The above amendment shall take effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. 2-50/NMA/2023/AIZAWL]

Prof. KISHOR K BASA, Chairman, National Monuments Authority and
Director General, Archaeological Survey of India

NOTE: The principal notification was issued in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub- section (ii) vide number S.O. 728 (E), dated the 25th February, 2014, and published on 10 March 2014, and subsequently amended vide

- i. S.O. 2134(E), dated the 31st July, 2015
- ii. S.O. 2810(E), dated the 13th October, 2015.
- iii. S.O. 3627(E), dated the 09th October, 2019, and
- iv. G.S.R. 768(E) dated the 16th December, 2020.